सत्यमेव जयते

संख्या– 1129 /जी0एस0(शिक्षा)/**A3-138**/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 02 जनवरी, 2024 ~~दिसम्बर, 2023~~

महोदय,

कृपया एफीलियेशन पोर्टल पर आवेदन आई0डी0 संख्या–230803125949 के माध्यम से इस सचिवालय को प्रेषित निम्नवत् प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिचपुरी, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।	बी0एड0	100	2023–24

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय संस्थान से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विधिक दायित्व व वार्षिक बैलेंस सीट के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 01 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी इन तथ्यों का उल्लेख किया जाए।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा।

भवदीय,

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 03/01/2024 05:47 pm

I/1129/2024

I/1129/2024

Signed by Ravinath Raman
Date: 02-01-2024 13:28:04

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– 1129 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A3-138**/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2 प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।

3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह0-

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 03/01/2024 05:47 pm